

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन,

अनुदान सं०-83

तेरह अंको का कोड-2515007890401

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण-वितरण अधिकारी,

बिजनौर, बदायूं, कानपुर नगर, फतेहपुर, हमीरपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़,
कानपुर देहात, कुशीनगर, चन्दौली तथा सन्त कबीर नगर।

संख्या- 1/ 207/2021-1/08/2021 : लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2021

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-29/2021/792/33-3-2021-791/2021 दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार रूपया-52,47,62,982/- (रूपया बावन करोड़ सैंतालिस लाख बासठ हजार नौ सौ बयासी मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वर्तन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
10. आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिये निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-04-पंचायतीराज संस्थायें-0401-सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश मैन्युअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंस प्रोपर्टी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
13. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
14. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
15. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
16. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
17. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
18. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
 1-कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2-वर्ष 2021-22 में यदि कोई धनराशि अवशेष है, तो उसका समर्पण दिनांक 10.03.2022 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
 प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-107 पर अंकित है।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

 (राज कुमार)
 निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/207/1/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

②

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-13/10/2021

प्रेषण संख्या:- 1-207-2021-01-08-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 006-1-08-2021

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)
(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
04 -

01 - सफाई कर्मचारी

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महगाई भत्ता	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	बिजनौर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 211673705	0 54490992	109244 279230	109244 266443927
2	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	126791878 297640408	23573167 52617417	0 308890	150365045 350566715
3	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 211387291	0 53096536	32920 865967	32920 265349794
4	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	55429137 117306246	15676447 26195555	21315 149521	71126899 143651322
5	हमीरपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	65011883 135934195	18608912 30665705	0 0	83620795 166599900
6	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 339202540	0 83771521	34119 34119	34119 423008180
7	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 546581687	0 138924044	186950 2235723	186950 687741454
8	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 380800546	0 89738811	63744 1827812	63744 472367169
9	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 289749859	0 68197910	129871 417836	129871 358365605
10	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	46026196 92190027	12784779 20632630	0 42182	58810975 112864839
11	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 341047638	0 61671924	49088 1236649	49088 403956211
12	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 228334840	0 53262165	40967 205727	40967 281802732
13	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 296683097	0 73373087	57450 196706	57450 370252890
14	चन्दौली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 306735612	0 64516288	72400 417457	72400 371669357
15	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	125412843 285281049	34624619 61802214	25053 540131	160062515 347623394
	योग	वर्तमान प्रगामी	418671937 4080548740	105267924 932956799	823121 8757950	524762982 5022263489

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बावन करोड़ सैंतालीस लाख बासठ हजार नौ सौ बयासी

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच अरब दो करोड़ बाइस लाख तिरेसठ हजार चार सौ नवपचासी

(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी